प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.12.2024

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मोबाइल टावरों के उपकरण चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का वाँछित / पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का करीब 15 लाख रूपये का माल बरामद

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब व मध्यप्रदेश में जिओ व एयरटेल कम्पनी के मोबाइल टावरों से आर0आर0 यूनिट, बैट्री व अन्य इलैक्ट्रानिक डिवाईस चोरी कर उसे भारी दामो मे विदेशो मे बेचने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय सदस्य तथा थाना वेव सिटी से फरार/वाँछित पुरस्कार घोषित 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है गिरफ्तार अभियुक्त से मोबाइल टावरो की 02 चोरी की रेडियो रिसिवर यूनिट बरामद हुई है।जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये है। **अभियुक्त की गिरफ्तारी पर डी0सी0पी0 ग्रामीण गाजियाबाद द्वारा 20,000 रूपये का पुरस्कार पूर्व से घोषित है।**

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर पकडे गये शातिर अभियुक्त कृपाल उर्फ सोनू ने बताया कि वह मूल रुप से मोगा पजाबं का रहने वाला है जो आठवी कक्षा तक पढा है। पढाई छोडने के बाद उसने पंजाब मे ही राज मिस्त्री का काम सीखा और राज मिस्त्री का काम करने लगा। वर्ष 2022 मे उस क्षेत्र मे जियो कंपनी ने 5-G इटंरनेट सेवा देने के लिये केबिल लगाने का काम शुरु किया जिसमे अभियुक्त कृपाल उर्फ सोनू उपरोक्त भी काम करने लगा कुछ समय काम करने के बाद सोनू व उसके साथियो ने जियो कम्पनी के 5-G केबिल को चुराकर उसका काँपर निकालकर कबाडियो को बेचना शुरु कर दिया उसी समय कृपाल उर्फ सोनू उपरोक्त का सम्पर्क सरफराज उर्फ रवि कबाडी से हुआ जो मूल रुप से ग्राम भैंसा थाना मवाना मेरठ का रहने वाला है तथा मोगा मे किराये पर मकान लेकर कबाड का काम करता था कुछ समय बाद सरफराज ने सोनू उपरोक्त से कहा कि मोबाईल टावर मे काम करते हो, टावर मे एक डिब्बा लगा होता है जिसे आरआरयू कहते है अगर तुम उसको लाओ तो लाखो का फायदा होगा इस पर सोनू उपरोक्त ने अपने साथियो के साथ मिलकर मोबाईल टावरो से आरआरयू,बैट्रियाँ व अन्य उपकरण चोरी करके सरफराज को बेचना शुरु कर दिया जिसमे काफी फायदा होने लगा। इसके बाद इन लोगो ने धीरे धीरे अपना एक संगठित गिरोह बना लिया जो मोबाईल टावरों से रेडियों रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य इलैक्ट्रोनिक सामान चोरी करने व खरीद फरोख्त करने का काम करने लगे। कुछ वर्षों से मोबाइल टावरों की बैट्री, रेडियो रिसीवर यूनिट व अन्य इलैक्ट्रोनिक डिवाईस की चोर बाजार में काफी माँग चल रही है, मोबाइल टावरों पर लगे उपकरण काफी मँहगे होते है और इनको चुराना काफी आसान होता है और उनको ट्रॉन्सपोर्ट करने में कोई समझ भी नही पाता हैं कि यह क्या है। पहले ये लोग अलग-अलग आर0आर0यू0 की चोरी करते व बेचते थे, फिर हमनें मिलकर अपना एक संगठित गिरोह बना लिया इनके गिरोह मे इसके अलावा मोहसिन, सरफराज, अनस, राजा उर्फ अकरम, राजा उर्फ शाकिब, शादाब, सलमान, अज्जू, अमन, दिल्लू उर्फ दिलशाद, शाहिद ,नूर , हातिम, अय्यूब व हसन शामिल हैं। इस गिरोह के मोहसिन, सरफराज, अनस, राजा उर्फ अकरम, राजा उर्फ शाकिब, सलमान, हातिम ,शादाब,शाहिद व नूर मोबाईल टावरो की चोरी मे ही गाजियाबाद से पहले ही जेल जा चुके है। मोबाईल टावरों से उपकरण चोरी कर खरीद फरोख्त के बाद जो रूपये मिलते है उनको ये लोग काम के अनुसार आपस मे बाँट लेते है और हिस्से मे आये रूपयों से ही हम घर के खर्चे व अपने शोक पूरे करते है।आज सोनू उर्फ कृपाल व दिलशाद उर्फ दिल्लू बरामद आरआरयू को दिल्ली बेचने जाते उससे पहले ही पुलिस ने सोनू उर्फ कृपाल उपरोक्त को मय चोरी के माल के साथ गिऱफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर मोबाइल टावरो से रेडियो रिसीवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरण चोरी करने वाले अन्य अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मोबाइल टावरों से

रेडियो रिसिवर यूनिट, बैट्री व अन्य कीमती उपकरणों की चोरी पर लगी है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>-

कृपाल उर्फ सोनू पुत्र दर्शन सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी एसआरएम स्कूल के पास नई बस्ती ग्राम फतेहगढ पंजतूर थाना फतेहगढ पंजतूर जिला मोगा (पंजाब)

<u>अभियुक्त से बरामदगी का विवरण</u> –

1.मोबाइल टावर की रेडियो रिसिवर यूनिट-02 अदद

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

अभियुक्त कृपाल उर्फ सोनू के विरूद्ध पंजाब में 07,जम्मू-कश्मीर मे 01 व गाजियाबाद मे 02 कुल 10 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

दिनांक 03.11.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी अनिल बांगा पुत्र तिलक राज बांगा द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी स्कूटी चोरी कर ली गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पर अभियोग पंजीकृत कराया था। उपरोक्त क्रम में आज दिनांक 03.12.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त सूरज पुत्र बच्चन झा निवासी गूजर चौक के पास डिफेंस कॉलोनी भोपुरा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को गंदे नाले की दायी तरफ की सर्विस रोड़ पर थाना शालीमार गार्डन से चोरी की 01 स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सूरज पुत्र बच्चन झा उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज पुत्र बच्चन झा उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि जो स्कूटी मुझसे बरामद हुई है। वह मैनें दिनांक 01.11.2024 को 80 फुटा रोड़ के पास एक प्लाट से चोरी की थी। जिसे मैं आज बेचने जा रहा था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

सूरज पुत्र बच्चन झा निवासी गूजर चौक के पास डिफेंस कॉलोनी भोपुरा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास</u>

गिरफ्तार अभियुक्त सूरज पुत्र बच्चन झा उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी व चोरी का माल बरामदगी से सम्बन्धित 02 अभियोग व थाना साहिबाबाद पर चोरी का माल बरामदगी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।